



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्रांक: 667-औ०सं०/उनिलि/2023-53(21)/औ०सं०/2023

दिनांक: 18/07/2023

मुख्य महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी/जवाहरपुर) तापीय परियोजना, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०,
मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/11), (तापीय परिचालन/पी०पी०एम०एम०/वाणिज्य/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ईंधन/
आर०एण्ड एम०/प्रगति/जानपद नव परियोजना/न्यू कोल ब्लॉक उनिलि, लखनऊ।

कम्पनी सचिव, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-01/03/04/05/06/टावासे/प्रशि०/रिफार्म) उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

उपमुख्य लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०-02) उनिलि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

विषय:- उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत हड़ताल निषिद्ध करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के अधिसूचना सं० 1182/24-पी-2-2023-1(121)/04 दिनांक 05.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करना चाहे, जिसके अनुसार सूचित किया है कि उ०प्र० आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल महोदय इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० सहित सभी ऊर्जा निगमों के आधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध कर दिया है।

कृपया उपरोक्त के संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अशोक कुमार सेठ)

मुख्य अभियन्ता (मा०सं०)

संख्या: 667/औ०सं०/उनिलि/2023-53(21)/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
3. निदेशक (कार्मिक)/(वित्त)/(तकनीकी)/(परियोजना एवं वाणिज्य) उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।

(अशोक कुमार सेठ)

मुख्य अभियन्ता (मा०सं०)

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1182/24-P-2-2023-1(121)/2004, dated- 05-07-2023.

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-2
NO. 1182/24-P-2-2023-1(121)/04
Dated, Lucknow: 05-07-2023

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited, Lucknow, 4. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 5. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 6. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 7. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 8. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 9. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By order,

MAHESH KUMAR GUPTA
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY